

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-03
संख्या: १४७८/IV(3)/2024-11(३ निर्वा०)/2024
देहरादून: दिनांक १५ दिसम्बर, 2024

अनन्तिम अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा ९क की उपधारा (५) सप्तित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024 उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिकाओं में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन निम्नवत प्रस्तावित करते हैं :—

क्र०सं०	नगर पालिका परिषद का नाम	अध्यक्ष पद का आवंटन/आरक्षण
1.	नगर पालिका परिषद, विकासनगर	अनुसूचित जनजाति
2.	नगर पालिका परिषद, मसूरी	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
3.	नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर	अन्य पिछड़ी जाति
4.	नगर पालिका परिषद, डोईवाला	अनारक्षित
5.	नगर पालिका परिषद, मंगलौर	अन्य पिछड़ी जाति
6.	नगर पालिका परिषद, लक्सर	अनुसूचित जाति
7.	नगर पालिका परिषद, शिवालिकनगर	अनारक्षित
8.	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	महिला
9.	नगर पालिका परिषद, बड़कोट	अन्य पिछड़ी जाति
10.	नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़	अनुसूचित जाति
11.	नगर पालिका परिषद, पुरोला	महिला
12.	नगर पालिका परिषद, चमोली—गोपेश्वर	अनारक्षित
13.	नगर पालिका परिषद, जोशीमठ	महिला
14.	नगर पालिका परिषद, गौचर	अनारक्षित
15.	नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	अनुसूचित जाति (महिला)
16.	नगर पालिका परिषद, टिहरी	अनारक्षित
17.	नगर पालिका परिषद, चम्बा	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
18.	नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग	महिला
19.	नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती—ढालवाला	अनारक्षित
20.	नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग	अनारक्षित
21.	नगर पालिका परिषद, पौड़ी	महिला
22.	नगर पालिका परिषद, दुगड़ा	अनारक्षित

23.	नगर पालिका परिषद, धारचूला	अनारक्षित
24.	नगर पालिका परिषद, डीडीहाट	अनारक्षित
25.	नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट	अनारक्षित
26.	नगर पालिका परिषद, बेरीनाग	महिला
27.	नगर पालिका परिषद, टनकपुर	अन्य पिछड़ी जाति
28.	नगर पालिका परिषद, चम्पावत	महिला
29.	नगर पालिका परिषद, लोहाघाट	अनारक्षित
30.	नगर पालिका परिषद, रानीखेत-चिनियानौला	अनारक्षित
31.	नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	अनुसूचित जाति
32.	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	अनुसूचित जाति
33.	नगर पालिका परिषद, रामनगर	अनारक्षित
34.	नगर पालिका परिषद, भवाली	महिला
35.	नगर पालिका परिषद, भीमताल	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
36.	नगर पालिका परिषद, कालादूंगी	अनुसूचित जाति (महिला)
37.	नगर पालिका परिषद, गदरपुर	महिला
38.	नगर पालिका परिषद, जसपुर	अन्य पिछड़ी जाति
39.	नगर पालिका परिषद, बाजपुर	अन्य पिछड़ी जाति
40.	नगर पालिका परिषद, सितारगंज	अन्य पिछड़ी जाति
41.	नगर पालिका परिषद, खटीमा	सामान्य
42.	नगर पालिका परिषद, महुआखेडागंज	अन्य पिछड़ी जाति
43.	नगर पालिका परिषद, नगला	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)

2— उपरोक्त नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

3— प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62, राजपुर रोड, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून को सम्बोधित करते हुये अथवा मेल आईडी directorudd@gmail.com पर प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त होंगे। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई करते हुये अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।



(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

संख्या: १४१८ (१) / IV(3) / 2024-11(३ निर्वाचन) / 2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

१

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

संख्या: १४१८ (२) / IV(3) / 2024-11(३ निर्वाचन) / 2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को तीन ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें, जिनका प्रसार उत्तराखण्ड में व्यापक रूप से होता हो, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त होने वाली आपत्ति एवं सुझाव पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनवाई करते हुये उनके निस्तारण के संबंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
7. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड (द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

१

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।